...ाय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)

...ीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना आई.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2022/345

दायरा तिथि : 23.09.2022

आदेश तिथि : 09-01-2023

प्रार्थी :–

जयंतिलाल पुत्र कपूराराम जाति मेघवाल निवासी कोठार तहसील बाली

ब ना म

अप्रार्थी :–

राजस्थान सरकार जरिये
(भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत राजकीय भूमि मे से रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश दिनांक 09-01-2023

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम 68 प्रस्तुत कर स्वयं की धारित सहखातेदारी भूमि मौजा भाटून्द पटवारी हल्का भाटून्द तहसील बाली के खसरा नंबर 24/2727 रकबा 1.1500 हैक्टर मे आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवाय चक भूमि मौजा भाटून्द के खसरा नंबर 24/2724, 42 रकबा क्रमशः 0.9600, 4.4200 हैक्टर प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शित मार्ग से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02-03-2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ. निरीक्षक, बीजापुर ने जरिये पत्रांक : राजस्व/2022/3310 दिनांक 24.11.2022 से रेकर्ड व मौका स्थिति की जांच कर रिपोर्ट पेश की। तहसीलदार, बाली की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1. यह है कि ग्राम भाटून्द के खसरा नंबर 24/2727 रकबा 1.15 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल की खातेदारी भूमि प्रार्थी श्री जयंतिलाल पुत्र कपूराराम जाति सरगरा निवासी कोठार तहसील बाली नाम से खातेदारी भूमि दर्ज है। आवेदक की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य विकल्प खसरा नंबर 42 व 24/2729 मौजूद है। वर्तमान मे आवेदक अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन के लिये खसरा नंबर 42 व 24/2729 की भूमि से पगडंडी से एवं अन्य पडत खसरों से आवागमन करता है।
2. रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षैत्रफल	नाम खातेदार	वि.वि.
1	42	4.42 हैक्टर	बा.अ.	268X5=1340 वर्गमीटर	राजकीय सिवाय चक भूमि	खसरा नंबर 42 दो भागों में विभाजीत हो रहा है।
2	24/2724	0.96 हैक्टर	बा.अ.	40X5=200 वर्गमीटर	राजकीय सिवाय चक भूमि	
				1540 वर्गमीटर		

3. वैकल्पिक रास्ते हेतु भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.स.	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षैत्रफल	नाम खातेदार
1	42	4.42 हैक्टर	बा.अ.	264X5=1320 वर्गमीटर	राजकीय सिवाय चक भूमि
2	24/2729	0.96 हैक्टर	बा.अ.	24X5=120 वर्गमीटर 36X5=180 वर्गमीटर	राजकीय सिवाय चक भूमि
				1620 वर्गमीटर	

उपखण्ड अधिकारी
बाली जिला-पाली (राज.)

पेज लगातार 2

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2022/345

अनवान जयंतिलाल बनाम राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियमम, 1955

4. यह है कि प्रस्तावित भूमि ग्राम भाटून्द के खसरा नंबर 42 की डी.एल.सी.दर असिंचित 191268/– रूपये प्रति हैक्टर व सिंचित क्षेत्र की 252032/– रूपये प्रति हैक्टर है । खसरा नंबर 24/2729 की डी.एल.सी. दर असिंचित 150917/– रूपये प्रति हैक्टर व सिंचित क्षेत्र की 201758/– रूपये प्रति हैक्टर है। खसरा नंबर 24/2729 की डी.एल.सी.दर असिचित क्षेत्र की 150917/– रूपये प्रति हैक्टर व सिंचित क्षेत्र की 201758 रूपये प्रति हैक्टर व खसरा नंबर 42, 24/2729 एवं 24/2724 में राईडा की फसल बोई हुई है।

5. प्रस्तावित रास्ते की भूमि में मौके पर कोई भी निर्मित संरचना नहीं हैं न ही वृक्ष इत्यादि की क्षति हैं। अतः अन्य कोई भी क्षति नहीं होगी।

प्रकरण में तहसीलदार, बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंषा की गई। तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण मे वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् यह जाहिर हैं कि आवेदक की सहखातेदारी भूमि मौजा भाटून्द तहसील बाली के खसरा नंबर २५/२७२७ रकबा 1.15 हैक्टर किस्म बारानी अव्वलकी भूमि में आवागमन के लिये कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार, बाली द्वारा जांच के पश्चात् अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व/2022/3310 दिनांक 24.11..2022 से आवेदित रूट खसरा नंबर 24/2724, 42 के साथ–साथ वैकल्पिक रास्ते के रूप में खसरा नंबर 24/2729, 42 में ये भी रास्ता प्रस्तावित किया है। दोनों प्रस्तावित रास्ता के अवलोकन से ज्ञात है कि आवेदित खसरा नंबर 24/2724, 42 में से रास्ता दिये जाने पर खसरा नंबर 42 दो भागों में विभाजित हो रहा है। इस प्रकार तुलनात्मक रूप से खसरा नंबर 24/2729, 42 में से **1620 वर्गमीटर** का रास्ता उपलब्ध करवाया जाना न्यायसंगत है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमॉकः प.3(52) राज–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा भाटून्द पटवार हल्का, भाटून्द तहसील बाली के खसरा नंबर 24/2727 रकबा 1.1500 हैक्टर में आवागमन हेतु राजकीय सिवाय चक भूमि मौजा भाटून्द के खसरा नंबर 42 रकबा 4.4200 हैक्टर व खसरा नंबर 24/2729 रकबा 0.9600 किस्म **मेंसे 1620 वर्गमीटर रास्ता** नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत अप्रार्थी को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है। राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षैत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि डी.एल.सी. दर 252032/– व 201758/– प्रति हैक्टेयर की दर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
42	4.42 हैक्टर	264X5=1320 वर्गमीटर	25.20	33264X2=66528	राजकीय सिवायचक भूमि
24/2729	0.96 हैक्टर	24X5=120 वर्गमीटर 36X5=180 वर्गमीटर	20.18	2422X2=4844 3632X2=7264	राजकीय सिवायचक भूमि
		1620 वर्गमीटर		कुल राशि =78636	

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार 78636/– **(अक्षरे अठहत्तर हजार छः सौ छत्तीस रूपये मात्र)** रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राज्य कोष मे जमा कराये जावेंगे। तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री [illegible])
आई.ए.एस. (राज)
पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बाली

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2022/345

अनवान जयंतिलाल बनाम राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियमम, 1955

पत्रांक : कोर्ट/2022/25-29

दिनांक : 17-01-2023

प्रतिलिपि पालनार्थ :–

1. तहसीलदार बाली
2. भू.अ.निरीक्षक बीजापुर
3. पटवारी हल्का भाटूंद
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक श्री जयंतिलाल पुत्र कपूराराम जाति मेघवाल निवासी कोठार तहसील बाली को सूचनार्थ प्रेषित हैं।

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली जिला - पाली (राज.)

पदेन सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बाली

उपखण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner